

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 केम स्थल अज्ञेय वार्मानिया)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1206

दापर दिनांक 10.10.25

निर्णय दिनांक 10.10.25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			
1	अज्ञेय वार्मानिया	B	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
			बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक		तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम अज्ञेय वार्मानिया में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी कारा सुलाम	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार		पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

तहसीलदार (भू.अ.)
 तहसीलदार कपासन
 तहसीलदार (भू.अ.)
 तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़